



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



2 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 6 राँची, बुधवार

21 फ़रवरी, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 61-72 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 —भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 —विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2023

संख्या-13/आई०पी०एस०-112/2019-6177--श्री अनिल पालटा, भा०पु०से०, महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-05.12.2023 से 09.12.2023 तक कुल 05 (पाँच) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

24 जनवरी, 2024

संख्या-13/एच०-104/2023-418--भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-464/L&O/2023/EPS, दिनांक-07.06.2023 के अनुपालन में श्री सुनील भाष्कर भा०पु०से० (JH:2007), पुलिस उप-महानिरीक्षक, झा०स०पु०, राँची को अपने कार्यों के अतिरिक्त नोडल पदाधिकारी (चुनाव व्यय) (Nodal officer, Election Expenditure) के रूप में कार्य करने हेतु विभागीय अधिसूचना सं-6135, दिनांक-21.12.2023 द्वारा नामित किया गया था ।

श्री सुनील भाष्कर, भा०पु० से० (JH:2007), पुलिस उप-महानिरीक्षक, झा०स०पु०, राँची का स्थानान्तरण पुलिस उप-महानिरीक्षक, हजारीबाग के पद पर हो जाने के कारण इनके स्थान पर श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, भा०पु० से० (JH:2010), पुलिस उप-महानिरीक्षक, संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, झारखण्ड, राँची को अपने कार्यों के अतिरिक्त नोडल पदाधिकारी (चुनाव व्यय) (Nodal officer, Election Expenditure) के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया जाता है ।

श्री सिन्हा, भा०पु० से०, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-464/L&O/2023/EPS, दिनांक-07.06.2023 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के आलोक में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

30 जनवरी, 2024

संख्या-12/पी०-8001/2024-504--W.P(S) No.-310/1996 प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक-22.09.2009 एवं 11.01.2007 को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में अंतरिम व्यवस्था के रूप में राज्य पुलिस स्थापना पर्षद का गठन अधिसूचना सं०-513, दिनांक-19.02.2007 द्वारा किया गया है। तदोपरांत अधिसूचना सं०-2450, दिनांक-04.07.2007, 3301. दिनांक-28.08.2007 एवं अधिसूचना सं०-4017, दिनांक-09.10.2009 द्वारा आवश्यक संशोधन किया गया है।

सम्प्रति राज्य पुलिस स्थापना पर्षद के कार्यों को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु राज्य पुलिस स्थापना पर्षद का गठन निम्नरूपेण किया जाता है :-

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| (i) महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक | - | अध्यक्ष |
| (ii) महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग | - | सदस्य |
| (iii) पुलिस महानिरीक्षक (विशेष शाखा) | - | सदस्य |
| (iv) पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) | - | सदस्य सचिव-सह-पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) |
| (v) पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक) | - | सदस्य |

2. विभागीय अधिसूचना सं०-513, दिनांक-19.02.2007 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

30 जनवरी, 2024

संख्या-12/पी०-8002/2021-614--श्री जीतवाहन उराँव, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

उक्त पद पर पूर्व से पदस्थापित पदाधिकारी पुलिस मुख्यालय झारखण्ड, राँची में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

29 दिसम्बर, 2023

संख्या-12/पी०-8001/2020-6304--विभागीय अधिसूचना सं०-6276, दिनांक-28.12.2023 के द्वारा प्रोन्नति के माध्यम से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त श्री विरजू गंझु को पुलिस उपाधीक्षक विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

30 जनवरी, 2024

संख्या-12/पी०-8002/2021-615--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-582, दिनांक-30.01.2024 को विलोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

30 जनवरी, 2024

संख्या-12/पी०-8002/2021-612--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-584, दिनांक-30.01.2024 को विलोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2023

संख्या-13/आई॰पी॰एस॰-104/2023-6135--श्रीमती मूमल राजपुरोहित भा॰पु॰से॰, सहायक पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय-1), राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 18 (1) के आलोक में दिनांक 07.12.2023 से 03.06.2024 तक कुल-180 दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2023

संख्या-13/आई॰पी॰एस॰-118/2021-6176--श्री मुरारी लाल मीना, भा॰पु॰से॰, अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची को ब्लॉक वर्ष-**2022-25** के तहत एल॰टी॰सी॰ उपभोग करने हेतु अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-**10.12.2023** से **19.12.2023** तक कुल 10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2023

संख्या-सं०-3/नि०सं०-09-21/2018 का० 7098--श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-608/03), अपर निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची का दिनांक 28.07.2023 से दिनांक 21.08.2023 तक (कुल 25 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2023

सं०सं०3/नि०सं०-09-37/2016 का. 7107--श्री अनंत कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-10/20), उप सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची का दिनांक 01.05.2023 से दिनांक 11.05.2023 तक (कुल 11 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2023

1. **संख्या-13/पी०2-103/2019-6274-सी०, श्रीमती शिवानी तिवारी, भा०पु०से० (2011),** संप्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) तथा 8(6) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान-Level-13 of Pay Matrix में इनसे कनीय श्री चन्दन कुमार झा, भा०पु०से० (2011) को विभागीय अधिसूचना सं०-6267 दिनांक-27.12.2023 द्वारा दी गई प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक-01.01.2024 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।
2. **संख्या-13/पी०2-103/2019-6275-सी०, डॉ. जया राय, भा०पु०से० (2011),** संप्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) तथा 8(6) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान-Level-13 of Pay Matrix तपग में इनसे कनीय श्री प्रियदर्शीय आलोक, भा०पु०से० (2011) को विभागीय अधिसूचना सं०-6268, दिनांक- 27.12.2023 द्वारा दी गई प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक-01.01.2024 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

1 जनवरी, 2024

संख्या-13/पी2-103/2020-02/सी.--भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के वेतनमान Level-12 of Pay Matrix में इस शर्त के साथ प्रोन्नति प्रदान की जाती है कि इनको उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण के अगले स्लॉट में इनके द्वारा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम फेज-III प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाय:-

(ii)

क्र.	पदाधिकारी का नाम	बैच
1	श्री एहतेशाम बकारिव भा.पु.से.	2015
2	श्री खोत्रे श्रीकान्त सुरेश राव भा.पु.से.	2015

उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2023

संख्या-13/एच.-104/2023-6135--भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-464/L&O/2023/EPS, दिनांक-07.06.2023 के अनुपालन में राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी (SPNO) को सहयोग प्रदान करने हेतु श्री इन्द्रजीत महथा, भा.पु.से. (JH:2009), पुलिस उप-महानिरीक्षक, झारखण्ड जगुआर (STF), राँची को अपने कार्यों के अतिरिक्त राज्य सी.ए.पी.एफ., नोडल पदाधिकारी (State CAPF Nodal officers), तथा श्री सुनील भाष्कर, (JH:2007), पुलिस उप-महानिरीक्षक, झा.स.पु., राँची को अपने कार्यों के अतिरिक्त नोडल पदाधिकारी (चुनाव व्यय) (Nodal officers, Election Expenditure) के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया जाता है ।

श्री महथा, भा.पु.से. एवं श्री भाष्कर, भा.पु.से. को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-464/L&O/2023/EPS, दिनांक-07.06.2023 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के आलोक में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

शुद्धि पत्र

9 फरवरी, 2024

विभागीय अधिसूचना संख्या-115-सी०, दिनांक-05.01.2024 के क्रमांक-5 पर अंकित श्री निरंजन प्रसाद को वास्तविक/आर्थिक लाभ देय तिथि '01.01.2016' के स्थान पर '01.01.2017' पढ़ा जाय ।
उक्त अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी ।

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2023

संख्या-13/पी₂-103/2019-6249-सी०, वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री संजीव कुमार, भा०पु०से०(2009) को इस शर्त के साथ इनको उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण के अगले स्लॉट में इनके द्वारा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम फेज-प्प् प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उपमहानिरीक्षक (वेतनमान-Level-13A of Pay Matrix) कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपमहानिरीक्षक, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

उक्त पदस्थापन दिनांक-01.01.2024 से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

16 फरवरी, 2024

संख्या-11/बंदी विविध-01/2024-930--विभागीय अधिसूचना संख्या-652, दिनांक-31.01.2024 द्वारा Prisons Act 1894 (अधिनियम 9/1894 की धारा-3 की उपधारा (1) के अंतर्गत Jharkhand Civil Services Officer's Institute (IAS Club) दीनदयाल नगर, थाना-लालपुर राँची को अस्थायी कारा/ शिविर कारा के रूप में घोषित किया गया है ।

2 सम्यक विचारोपरांत, राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना संख्या-652. दिनांक-31.01.2024 एवं इससे संबंधित अधिसूचना संख्या-653. दिनांक-31.01.2024 को निरस्त किया जाता है ।

3 यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एनी रिन्कु कुजूर,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

30 नवम्बर, 2023

संख्या-03/ नि०सं०-08-20/2023 का० 6668--श्रीमती नूतन कुमारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-193/20), उप निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, झारखण्ड, राँची का दिनांक 07.06.2023 से दिनांक 22.07.2023 तक (कुल 46 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है एवं दिनांक 23.07.2023 को रविवारीय अवकाश उपभोग की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।
